Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2007/00101 बआनवान मेजर रतनसिंह बनाम पाबूसिंह के का.मु. सायरकंवर वगैरा अंतर्गत धारा 76 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री संतोश शर्मा उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्टस सं 01 श्री विनेश गहलोत अनुपस्थित। रेस्पोडेन्टस सं 03 के अधिवक्ता श्री प्रवीण भंडारी व श्री अमृत परिहार उप.। उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट श्री संतोश शर्मा ने बहस में अपील में उल्लेखीत तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम सेला में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 27, 30, 30/1, 29/1 कुल खसरा 04 कुल रकबा 150 बीघा 16 बिस्वा अपीलांट के पिता भवानी सिह व बुद्धसिंह पिता भारतसिह व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त सहखातेदारी की स्थित रही है। जिस भूमि के भू–भाग से बने हाल खसरा नंबर 125 रकबा 1.86 हैक्टर बुद्धसिंह के खातेदारी में सेटलमेंट पश्चात के रिकार्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि सेला के हाल खसरा नंबर 125 रकबा 1.86 हैक्टर बुद्धसिंह के स्वअर्जित सम्पदा नहीं होकर पुश्तैनी संम्पति हुई। मेजर बुद्धसिंह की मृत्यु दिनांक 26.02.2000 को हुई तथा पत्नि की मृत्यु इससे पूर्व दिनांक 30.10.1996 को हो चुकी है। मेजर बुद्धसिंह के कोई पुत्र पुत्रीयां नही होने से मृत्यु से पूर्व अपने जीवन काल मे अपीलाधीन भूमि के संबंध में वसीयतनामा दिनांक 04.02.1997 को रिश्ते में अपने साला श्री पाबूसिंह पुत्र जोरसिंह राजपूत हाल निवासी सेला के पक्ष में निष्पादित कर दिया। अपीलाधीन भूमि स्व बुद्धसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति नही होने से तथा बुद्धसिंह की निसंतान मृत्यु होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार उनके सगे भाई भवानीसिह के पुत्रगण रतनसिंह, किशनसिंह, स्व नरपतसिंह के उत्तराधिकारी होते है।स्व. बुद्धसिंह को अपीलाधीन भूमि स्वअर्जित नही होने से वसीयत के अधिकार नहीं होने के बावजूद वसीयत की गई तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात रेस्पोडेण्ट सं 1 ने अपीलांट की जानकारी के बाले–बाले नामांतरकरण अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की। जिस पर पटवारी हल्का धणी ने नामांतरणकरण सं. 193 दाखिल करते हुये आईएलआर की जांच के पश्चात ग्राम पंचायत धणी में पेश किया। पटवारी हल्का धणी द्वारा विवादास्पद नामांतरणकरण सं 193 पर नोट अंकित किया गया कि उक्त भूमि बुद्धसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जो वसीयत की गई। ग्राम पंचायत धणी ने दिनांक 07.04.2000 को उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किया गया जो नामांतरकरण एबइनीसीयो वॉयड होने से अपीलांट उक्त नामांतरणकरण को निरस्त कराने का अधिकारी होने से उक्त अपील पेश की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा मयाद के बिंदु को पूर्व निर्णीत किया जा चुका है। अतः मेरिट पर प्रकरण को निस्तारण किये जाने की दलील दी। विद्वान वकील अपीलांट ने दलील दी कि पटवारी हल्का द्वारा वसीयत की पूर्ण जांच नहीं की गई तथा साथ ही एक ही वसीयत में खसरे अलग–अलग लिखते हुये खसरा नंबर 471 को वसीयत से पृथक रखा गया। मौके पर अपीलांट का कब्जा होते हुये राजस्व कार्मिको व अधिकारीयों द्वारा पुर्ण जांच नही की। जबकी विधि के प्रावधानों अनुसार वसीयत का नामांतरकरण ग्राम पंचायत स्वीकृत नहीं कर सकती केवल तहसीलदार ही धारा 135(2) राज.भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाद सुनवाई स्वीकृत कर सकता है। जिससे ग्राम सेला स्थित अपीलाधीन भूमि खसरा नं 125 रकबा 1.86 हैक्टर के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण सं. 193 दिनांक 07.04.2000 को निरस्त किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा निम्न कानूनी दृष्टांत पेश कियें– 2024[1]DNJ[Rev.] 413, 2022[1]DNJ[Rev.] 443, 2021[2]DNJ[Rev.] 965. रेस्पोडेण्ट सं 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने बहस करते हुये दलील दी कि वादग्रस्त खसरा स्वर्गीय बुद्धसिंह का स्वअर्जित हैं तथा यदि अपीलांट को वसीयत बाबत आपत्ति थी तो वे सिविल कोर्ट में चुनौती दे सकते थे। पंजीबद्ध वसीयतनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना अपील प्रस्तुती का अधिकार नहीं रहता है। विवादास्पद नामांतरकरण सं. 193 ग्राम पंचायत ने पुर्ण प्रस्ताव लेकर स्वीकृत किया है तथा रास्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा135(1) में पंचायत को नामांतरणकरण स्वीकृती के अधिकार होने से नामांतरणकरण स्वीकार किया है।हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार बुद्धसिह को अपीलाधीन भूमि वसीयत करने के अधिकार होने से वसीयत की गई है।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म.

प्रकरण में वर्णित भमि पूर्व में संयुक्त खातेदारी की थी तथा विभाजन के पश्चात मेजर बुद्धसिंह के हिस्से बंट में आने से वर्णित भूमि बुद्धसिंह की स्वअर्जित सम्पदा हुई। वसीयत को प्रोबेट सिविल कोर्ट से ही करवा सकते है। अपीलांट अपील के माध्यम से अपीलाधीन भूमि बाबत कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकते है इस हेतू प्रॉपर सुट के जरिये ही अपने अधिकार प्राप्त कर सकते है। जिससे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने की दलील दी गई। रेस्पोडेण्ट पक्ष के उपस्थित अन्य अधिवक्ता श्री प्रवीण भण्डारी तथा दिनेश गेहलोत द्वारा भी इन्ही दलीलों को दोहराया गया। अपली दलीलों के समर्थन में रेस्पोडेण्ट सं 3 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा निम्न कानूनी उद्धरण पेश किये गये–

1. 2009 (2) RRT Page No. 729 (SC) registered Document is presumed to be validity executed unless proved contrary.
2. 2019 (1) RRT Page No. 648 Mutation is a fiscal proceeding in which right and title cannot be decided complicated question of adoption and will also cannot be examined in mutation proceedings.
3. 2013 AIR CC (MAD) Page No. 599 Section 8 Hindu Succession act wife and children would be class First heirs to In herit His property cannot be described as and ancestral property They Would inherit property As there Absolute property they are competent to execute the will and any transfer deed.
4. 2017 (1) RRT 95 Absolute honour of the property is competent to execute the will
5. 1984 RRD Page 139 Hindu Succession act 1956 Section 30 exp 1-after commencement of H.S. act a Hindu fully competent and capable to dispose of his coparcenary interest by will.
6. 2016-2017 RRT (SUPP) Page 181- Property inherited by wife from her husband is her separate property and she is competent to execute the will.
7. 2021 (2) RRT Page No. 952- Legality of the will cannot be sesailed in the mutation proceeding.
8. 2004 (1) RRT Page No. 561- not proved ancestral land- Mutation on the basis of registered will cannot cancelled.
9. 2002 RRT (2) Page No. 786 – it is not essential that will must be registered and obtain probate from the court if any party say will is disputed then they file a regular suit in competent court will cannot be question in Summary mutation Proceedings.

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि अपीलाधीन नामांतरकरण में वर्णित भूमि ग्राम सेला के खसरा नंबर 125 रकबा 1.86 हैक्टर मेजर बुद्ध सिंह पुत्र भारतसिंह की स्व अर्जित भूमि नहीं होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी भूमि रही है। जिससे मेजर बुद्ध सिंह को वसीयत के अधिकार नहीं होते हुये दिनांक 04.02.1997 को मेजर रतनसिंह द्वारा रिश्ते में अपने साले पाबूसिंह पुत्र जोरसिंह जाति कुंपावत राजपूत निवासी गुडा गांगान को वसीयत की गई तथा मेजर बुद्ध सिंह पुत्र भारतसिंह की निःसंतान मृत्यु होने से ग्राम सैला स्थित भूमि खसरा नंबर 281, 125, 279, 280 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.37 हैक्टर के संबंध में विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 193 पटवारी हल्का धणी द्वारा वसीयतनामा का दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का धणी द्वारा इस आशय का नोट अंकित किया कि उक्त भूमि बुद्ध सिंह की स्व अर्जित सम्पत्ति थी

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

जो वसीयत की गई। जिस नामान्तरकरण को सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा दिनांक 07.04.2000 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार विवादास्पद नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का द्वारा स्व अर्जित सम्पत्ति होने का नोट अंकन होते हुये पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस संबंध में नामातरकरण के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि undisputed मामलो मे ही धारा 135(1) के तहत ग्राम पंचाायत को नामांतरकरण स्वीकृति के अधिकार है। जहा तक disputed मामलो का प्रश्न है ऐसे मामलों के नामांतरकरण को विधि अनुसार पत्रावली कायम करते हुये हितबद्ध पक्षों को सुनवाई के पश्चात धारा 135(2) के तहत तहसीदलदार को ऐसे नामांतरकरण स्वीकृति के अधिकार है। जो प्रकिया उक्त प्रकरण में नही अपनाई गयी तथा भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की होते हुये नामांतरकरण दाखिल करते हुये निरीक्षक भू–अभिलेख खुडाला द्वारा भूमि स्व अर्जित सम्पत्ति का नोट जांच में अंकन करते हुये नामांतरकरण पाबुसिंह के नाम स्वीकृति के लिये पंचायत में पेश किया गया। नामांतरकरण स्वीकृति के समय संरपच द्वारा ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव का भी उल्लेख नही किया गया। जिससे प्रथम दृष्ट्या विवादास्पद नामांतरकरण त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत 2024 (1) DNJ (REVENUE) में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक है। जिसके अनुसार वसीयत के नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत को तस्दीक करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में तहसीलदार को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत ही ऐसे नामांतरकरण तस्दीक के अधिकार है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक नहीं है। जिससे प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विवादास्पद नामांतरकरण संख्या 193 को खसरा नंबर 125 रकबा 1.86 हैक्टर की सीमा तक निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम सेला स्थित भूमि खसरा नंबर 125 रकबा 1.86 हैक्टर के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 193 दिनांक 07.04.2000 निरस्त किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 193 की प्रति मय आदेश प्रति तहसीलदार बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में नये सिरे से विधि अनुसार नामांतरकरण नियमों की पालना करते हुये नामांतरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट तीन माह में इस न्यायालय में पेश करें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner